"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016—पौष 25, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई-1-14/2015/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (iii) के परन्तुक के अंतर्गत दिनांक 01-01-2016 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000 और ग्रेड पे रु. 8700/-) में पदोन्नत किया जाकर नवीन पदस्थापना स्थान पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000)	सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़	सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से., (2003)	संचालक, उद्यानिकी विभाग, पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन.	संचालक, उद्यानिकी विभाग, पदेन संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन.
3.	सुश्री ऋतु सैन, भा.प्र.से., (2003)	कलेक्टर, सरगुजा	कलेक्टर, सरगुजा
4.	श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से., (2003)	आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल तथा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.	आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल तथा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश.
5.	सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, भाप्रसे., (2003)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम (सीजीएमडीसी)	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य खनिज विकास निगम (सीजीएमडीसी)

2. सरल क्रमांक 1, 2, 4 एवं 5 पर दर्शित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई-1-17/2015/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित अधिकारी को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) (2) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600/-) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि	पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सुश्री जिनेविवा किंडो (2004)	01-01-2016	उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार)	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (संचालक, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार)
2.	श्री टोपेश्वर वर्मा (2006)	01-01-2016	उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
3.	श्री नीलम नामदेव एक्का (2006)	01-01-2016	अपर कलेक्टर, सरगुजा	अपर कलेक्टर, सरगुजा
4.	सुश्री शम्मी आबिदी (2007)	01-01-2016	कलेक्टर, जिला कांकेर	कलेक्टर, जिला कांकेर
5.	श्री के. सी. देवसेनापति (2007)	01-01-2016	कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा	कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	श्री बसवराजू एस. (2007)	01-01-2016	कलेक्टर, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा.	कलेक्टर, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा.
7.	श्री हिमशिखर गुप्ता (2007)	01-01-2016	कलेक्टर, जशपुर	कलेक्टर, जशपुर
8.	श्री मोहम्मद कैसद अब्दुल हक (2007)	01-01-2016	मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन.	मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन.
9.	श्री यशवंत कुमार (2007)	01-01-2016	कलेक्टर, जिला बीजापुर	कलेक्टर, जिला बीजापुर
10.	श्री जनक प्रसाद पाठक (2007)	01-01-2016	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं

2. उपरोक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-Non Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में अनिवार्यत: भाग लेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई-1-18/2015/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा, दिनांक 01-01-2016 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3(1) (1) के परन्तुक के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात् 01-01-2016 से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 6600/-) में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना
1.	श्री रितेश कुमार अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद
2.	श्री रजत बंसल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सूरजपुर
3.	श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-1/2014/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिनांक 24 दिसंबर 2015 दिन गुरुवार को "ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी)" के अवसर पर सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक ई 7-06/2015/एक-2.—श्री कुंदन कुमार, भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 25-06-2015 से 27-06-2015 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-06-2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 2-41/2012/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची-तीन में;—

1. "मैदानी संगठन की स्थापना" के प्रवर्ग तीन : (संभाग/राज्य स्तरीय) के अधीन सरल क्रमांक 8, 9, 10 एवं 19 के कॉलम (5) के प्रविष्टि क्रमांक 2 में के पश्चात्, क्रमशः निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"3. छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2001 के अधीन पंजीकृत हो".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 2-41/2012/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 9th December 2015

No. F 2-41/2012/9/55-3.—In exercise of the powers, conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh

Public Health (Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) Class-III Ministerial and Non-Ministerial Services Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENTS

In Schedule III of the said rules ;—

1. After entry number 2 of column (5) of Serial Number 8, 9, 10 and 19, under Category—III : (Divisional/State Level) of "Establishment of Field Organization", the following shall be added respectively, namely :—

"3. Registered under Chhattisgarh Sah Chikitsa Parishad Adhiniyam, 2001."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुकमा	सुकमा	श्री प्रभाकर ग्वाल, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सी.जे.एम., सुकमा.

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by the sub section (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chief Judicial Magistrate, Mentioned in the column 4 as chairperson and Social worker/workers duly selected by the State Level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 3.

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Revenue Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sukma	Sukma	Shri Prabhakar Gwal, Civil Judge Class-I cum-CJM, Sukma.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 20-9/2013/ग्यारह/(छै).—राज्य शासन, "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" में प्रावधानित मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 1 नवंबर 2012 से "छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012" निम्नानुसार लागू करता है :—

1. **परिचय—** राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के योजनाबद्ध एवं तीव्र गति से विकास तथा कृषि एवं खाद्य उत्पादों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" दिनांक 01 नवम्बर 2012 से लागू की गई है. इस नीति के बिन्दु 9.4 अनुदान छूट एवं रियायतें के अंतर्गत "मूल्य संवर्धित कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत प्रतिपूर्ति हेतु पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता" की एक योजना है. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम 1 नवम्बर 2012 से प्रभावशील होंगे.

2. **नियम—** ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012" कहे जावेंगे.

3. **परिभाषाएं—** इन नियमों के अंतर्गत परिभाषाएं उपाबंध (Annexure)-दो अनुसार लागू होंगी.

4. **पात्रता—**

4.1 इस अधिसूचना के तहत् उद्यमी को यह विकल्प होगा कि वह "पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता" अथवा तत्समय प्रचलित औद्योगिक नीति की "स्थायी पूंजी निवेश अनुदान" योजना में से किसी एक योजना का लाभ ले सकता है. एक बार लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय होगा.

4.2 यदि उद्यमी स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का विकल्प लेते हैं, तब औद्योगिक नीति 2009-14 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिए पात्रता शर्तें एवं अन्य प्रावधान औद्योगिक नीति 2009-14 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 20-110/2009/ग्यारह/(छै:) दिनांक 24 मार्च 2012 द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2009" अनुसार होगी तथा औद्योगिक नीति 2014-19 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिए पात्रता शर्तें एवं अन्य प्रावधान वही होंगे जो ओद्योगिक नीति 2014-19 के संदर्भ में अधिसूचित किए जाएंगे.

4.3 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित औद्योगिक इकाई धारित करता हो जिसमें उत्पाद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी से संबंधित हो.

4.4 उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र संबंधित औद्योगिक इकाई धारित करता हो, जिसमें उत्पाद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित हो.

4.5 नवीन औद्योगिक इकाईयों को मूल वार्षिक उत्पादन क्षमता तक एवं विद्यमान औद्योगिक इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयों को विस्तार के पूर्व स्थापित क्षमता के 125 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता होने पर ही पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुदान की पात्रता होगी. विद्यमान उद्योगों के विस्तार पर अतिरिक्त पूंजी पर ही पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुदान की पात्रता होगी.

4.6 इस अधिसूचना के अन्तर्गत उपाबंध-एक, अपात्र उद्योगों की सूची में शामिल उद्योगों को पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

4.7 पात्र औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की पात्रता अवधि 10 वर्षों तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदान करने की स्थिति निरंतर बनी रही हो.

4.8 उद्योग ने प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम रु. 100 लाख का निवेश किया हो.

4.9 उपरोक्त 4.8 अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू./ई.एम. पार्ट-1 जारी होने की तिथि से जो पश्चात्वर्ती हो, दो वर्षो के भीतर किया हो.

4.10 रुपये 100 करोड़ से अधिक सकल निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. करना अनिवार्य है.

4.11 परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय-समय पर हुये संशोधनों का पालन, यदि लागू हो, करना होगा.

4.12 भारत सरकार/राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/मंडलों/संस्थाओं/बोर्ड द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

4.13 पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर अनिवार्यत: आवेदन करना होगा.

4.14 स्ववित्त पोषित उद्योगों को भी पूंजीगत निवेश सहायता अनुदान की पात्रता होगी.

4.15 यदि भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अनुरूप अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी.

4.16 इस योजना के अन्तर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का विकल्प लेने पर 1 नवम्बर 2012 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर ही पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता की पात्रता होगी.

5. **पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता की मात्रा—** पात्र उद्योगों को पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता निम्नानुसार दी जायेगी :—

क्र.	उद्योग का वर्ग	मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता	अधिकतम कालावधि जिसके भीतर पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता प्राप्त की जानी है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी का वह नवीन लघु उद्योग अथवा मध्यम उद्योग अथवा वृहद उद्योग अथवा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई जिसमें 1 नवम्बर 2012 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो.	निवेशित मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत	10 वर्ष
2.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी का वह विद्यमान लघु उद्योग अथवा मध्यम उद्योग अथवा वृहद उद्योग अथवा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई जिसकी विस्तारित क्षमता में 1 नवम्बर 2012 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो.	विस्तारित क्षमता हेतु निवेशित मान्य स्थायी पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत	10 वर्ष

टीप :— पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता की मात्रा की गणना कंडिका 7 अनुसार की जायेगी.

6. **प्रक्रिया—**

6.1 ऐसा कोई उद्यमी, जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया है और इस अधिसूचना के अधीन "पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता" प्राप्त करना चाहता है तो संलग्न उपाबंध-तीन में अंकित प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र उपाबंध-चार में उल्लेखित सत्यापित अभिलेखों के

साथ संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करेगा. प्रथम क्लेम आवेदन नवीन उद्योग अथवा विद्यमान उद्योग के विस्तार में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक अथवा अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चात्वर्ती हो, से 1 वर्ष के भीतर करना होगा. पश्चात्वर्ती क्लेम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत आगामी छ: माह की निर्धारित अवधि के भीतर करने होंगे. जिला स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने वाले प्रकरणों को निरस्त करेगी.

6.2 आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पूर्ण आवेदन प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपाबंध पांच अनुसार प्रदान की जायेगी एवं अपूर्ण आवेदन मूलत: वापिस किये जायेंगे.

6.3 आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात् जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी लघु उद्योगों के नवीन अथवा विस्तार प्रकरणों में उपाबंध छ: अनुसार प्रतिवेदन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे. मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के नवीन अथवा विस्तार प्रकरणों में उपाबंध छ: अनुसार प्रतिवेदन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रेषित करेंगे.

6.4 इस अधिसूचना के अधीन पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता प्राप्ति के लिये औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत आवेदनों पर विचार निम्नांकित दो समितियां द्वारा किया जाएगा :—

अ- **जिला स्तरीय समिति**

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय	सदस्य
3.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर अथवा उनके नामांकित अधिकारी जो वाणिज्यिक कर अधिकारी से कम न हो.	सदस्य
4.	लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
5.	मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

ब- **राज्य स्तरीय समिति**

1.	आयुक्त/संचालक उद्योग	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड. डेव्ह. कार्पो लि. या उनके नामांकित प्रतिनिधि जो कार्यपालक संचालक/संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो.	सदस्य
3.	अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर	सदस्य
4.	अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग	सदस्य सचिव

6.5 जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी.

6.6 जिला स्तरीय समिति लघु उद्योगों तथा राज्य स्तरीय समिति मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की पात्रता का निर्णय करेगी.

6.7 आवेदन प्राप्त होने पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों का सत्यापन करेगा और यथास्थिति, जिला स्तरीय समिति या राज्य स्तरीय समिति को एक रिपोर्ट आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा. जिला स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने वाले प्रकरणों को निरस्त करेगी.

6.8 पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता स्वीकृत करने के लिये लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा दिये गये आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामलों में उन्हें स्वीकृति प्रमाण पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध 7 अनुसार जारी किया जायेगा.

मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के आवेदनों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पूंजीगत निवेश सहायता स्वीकृति पत्र उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, छत्तीसगढ़ द्वारा उपाबंध 7 अनुसार जारी किया जायेगा.

6.9 स्वीकृति पत्र जारी करने के पूर्व उद्योगों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के साथ निष्पादित कर पंजीकृत कराना होगा.

6.10 समिति सामान्यत: 3 माह में एक बैठक करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों को निराकृत करने के लिये इससे अधिक बैठक बुलाई जा सकेगी. समिति प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात् स्वीकृति पत्र जारी करने या उसके लिये किया गया आवेदन निरस्त करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी.

6.11 **राज्य स्तरीय समिति के अधिकार—**

6.11.1 राज्य स्तरीय समिति को मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार होगा.

6.11.2 राज्य स्तरीय समिति को स्वप्रेरणा से अथवा संदर्भित किये जाने पर अपने स्वयं के विनिश्चय में परिवर्तन करने की शक्तियां प्राप्त होंगी.

6.11.3 राज्य स्तरीय समिति को स्व प्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर जिला स्तर पर समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की शक्तियां एवं तद्नुसार जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होगी.

6.11.4 राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन जारी किये गये निर्देश जिला स्तरीय समिति के लिये बंधनकारी होंगे.

6.11.5 राज्य स्तरीय समिति को आवेदन देने में हुए विलंब को गुण-दोष के आधार पर शिथिल करने के अधिकार होंगे.

6.11.6 यदि उद्योग में निर्धारित अवधि में प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश नहीं किया है तो समिति को यह अधिकार होगा कि उद्यमी द्वारा निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापना हेतु उठाये गये प्रभावी कदमों के गुण-दोष के आधार पर समीक्षा कर पात्रता पर निर्णय करें तथा उद्योग स्थापित करने में लगी अतिरिक्त समयावधि को शिथिल करें.

6.11.7 नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग बन्द हो जाने संबंधी बिन्दु पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

6.11.8 जहां आवेदन निर्धारित समय सीमा के पश्चात् किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में निश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय समिति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन पर्याप्त कारणों से समय पर नहीं किया जा सका था तो वह अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे विलंब को माफ कर सकेगी और आवेदन के गुण-दोष के आधार पर विचार कर उसका निपटारा कर सकेगी.

6.11.9 राज्य स्तरीय समिति उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग संबंधित औद्योगिक इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये करेगी.

6.12. राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्र. 164/औनीप्र./उसंचा-रा/2005/9766-81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जायेगी.

7. **''पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता'' की स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया—**

7.1 इस अधिसूचना के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश की गणना उपाबंध दो में परिभाषित ''स्थायी पूंजी निवेश'' के अनुसार की जायेगी.

7.2 इस अधिसूचना के अन्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश करने की निर्धारित समयावधि की गणना एम.ओ.यू. के निष्पादन दिनांक/आई.ई.एम./ई.एम. पार्ट-1 जारी दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से प्रारंभ की जायेगी.

7.3 मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर 150 प्रतिशत की दर से अनुदान की राशि को पात्रता अवधि 10 वर्षों में विभाजित कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता की राशि निम्नानुसार आंकलित की जायेगी—

क्र.	वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई मूल्य संवर्धित कर की वार्षिक शुद्ध राशि (शुद्ध प्रांतीय वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि, आगत कर की राशि के समायोजन उपरांत)	विभाजन अनुसार पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की वार्षिक राशि	पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि (कॉलम 3 व 4 में जो कम हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

7.4 इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में आवेदन देने पर आयुक्त/उपायुक्त वाणिज्यिक कर, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष व्यवसायी द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय उपरांत भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर के संबंध में एक प्रमाण पत्र उपाबंध-8 अनुसार जारी किया जायेगा.

7.5 भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर में वह कर राशि कम की जायेगी जो मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अधीन समायोजन योग्य है या जो वापसी योग्य है अर्थात् वाणिज्यिक कर विभाग को शुद्ध रूप से भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर राशि को ही मान्य किया जायेगा. इसमें से आगत कर की राशि भी कम की जायेगी.

7.6 वार्षिक आधार पर आगणित पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता एवं भुगतान किये गये वार्षिक मूल्य संवर्धित कर में से जो भी कम हो वह उस वर्ष पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में देय होगा.

7.7 यदि वित्तीय वर्ष में वेट कर की राशि का भुगतान नहीं किया गया हो, उस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नहीं दी जायेगी.

7.8 प्रथम वर्ष के उपरांत आगामी वर्षों में आवेदक इकाई को वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गई राशि का प्रमाण पत्र उपाबंध 8 अनुसार, कर निर्धारण आदेश व भुगतान किये गये चालान की प्रति के साथ आवेदन करना होगा.

7.9 पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता ऐसे किसी उत्पाद पर उपलब्ध नहीं होगी जो कि इकाई के द्वारा स्वयं उत्पादित नहीं है.

7.10 उद्योग संचालनालय द्वारा पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता का बजट उपलब्धता एवं मांग के आधार पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को आवंटित किया जायेगा.

7.11 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा सहायता स्वीकृति के क्रम में सहायता राशि के वितरण की कार्यवाही की जायेगी.

7.12 सहायता राशि के विलंब से भुगतान पर अथवा विलंब से बजट उपलब्ध होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा.

8. **पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की वसूली—** निम्न स्थितियों में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि वसूली योग्य होगी—

8.1 औद्योगिक इकाई के पक्ष में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति/राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए हैं, तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से सहायता प्राप्त की गयी है.

8.2 औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन की पात्रता अवधि में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4.7 में उल्लेखित न्यूनतम प्रतिशत सीमा से कम हो जाता है.

8.3 उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये.

8.4 प्रति वर्ष उत्पादन व विक्रय संबंधी जानकारी/अंकेक्षित लेखे, लागू होने पर, उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को न दिया जावे.

8.5 यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की प्राप्ति हो गयी हो.

8.6 उपर्युक्त बिन्दु 8.1 से 8.5 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की राशि की वूसली के आदेश, जिला/राज्य स्तरीय समिति की ओर से क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जायेंगे. ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, वसूली दिनांक तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय लागू दर से साधारण ब्याज भी देय होगा तथा इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली की भांति की जा सकेगी.

9. **सहायता प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :—**

9.1 जिन औद्योगिक इकाईयों ने रु. 25 लाख से अधिक सहायता प्राप्त की है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को योजना की पात्रता अवधि तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे. रु. 25 लाख से कम सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन व विक्रय की जानकारी योजना की पात्रता अवधि तक देनी होगी. यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी.

9.2 औद्योगिक इकाई को पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तिम वितरण दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा.

9.3 सहायता की स्वीकृति के पश्चात् पात्रता अवधि के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के स्थायी परिसम्पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा. उल्लंघन करने की दशा में प्रदत्त पूंजीगत सहायता की वसूली उक्त कंडिका-8 के अनुसार की जायेगी.

स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति लेने पर अधिसूचना के अधीन प्राप्त अधिकार व दायित्व नये क्रेता में वेष्ठित हो जायेंगे.

10. **विशेष सेल का गठन—** कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु उद्योग संचालनालय में वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष सेल का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य के "नेशनल मिशन फार फूड प्रोसेसिंग" के नोडल कार्यालय के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे. जिसका उद्देश्य राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, आवश्यकतानुसार प्रदेश के बाहर चल रही उत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन कर राज्य में लागू करना, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अनुदान, छूट एवं रियायतों तथा अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय करना होगा. इस सेल के विकास संबंधी कार्यों के व्यय का वहन छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., रायपुर द्वारा किया जायेगा.

11. **अपील/वाद—**

11.1 लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 1000 एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में रुपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी. अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा. द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा.

11.2 अपील शुल्क का भुगतान "निर्धारित शीर्ष" 0852- उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां, 0674-अन्य प्राप्तियां के तहत् स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व अपील निरस्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा/जमा किया जायेगा.

11.3 कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर किये जाने पर ही मान्य होगी. विलंब का समुचित कारण न होने पर अपील अमान्य की जायेगी.

11.4 इस अधिसूचना के अंतर्गत कोई वाद राज्य के न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा.

11.5 इस अधिसूचना के अधीन किसी औद्योगिक इकाई द्वारा कर के भुगतान से छूट की सुविधा या पात्रता या उससे संबंधित किसी विषय में, राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से उद्भूत किसी विषय में कोई विवाद होने की दशा में, राज्य स्तरीय समिति के आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 120 दिन के भीतर आवेदक औद्योगिक इकाई द्वारा अपील आवेदन राज्य अपीलीय फोरम को किया जा सकेगा.

11.6 राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होंगे —

1.	भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2.	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य सचिव

11.7 राज्य अपीलीय फोरम की गण पूर्ति तीन से होगी एवं गणपूर्ति राज्य अपीलीय फोरम के अनुक्रमांक 2 या 3 पर उल्लेखित सदस्यों में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जायेगी.

11.8 राज्य अपीलीय फोरम, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर विचार के पश्चात्, इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अधिसूचना के उपबंधों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार उचित समझें. अपीलीय फोरम को अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को गुण–दोष के आधार पर विचार करते हुए विलंब को शिथिल करने के अधिकार होंगे.

11.9 राज्य अपीलीय फोरम द्वारा पारित आदेश समस्त पक्षों हेतु अंतिम तथा बंधनकारी होगा.

12. **स्वप्रेरणा से निर्णय :—** भारसाधक सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/राज्य स्तरीय समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु सहायता राशि को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा.

13. योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे. पूंजीगत निवेश सहायता से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा.

14. **योजना का क्रियान्वयन—** योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा.

इन नियमों को जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2015–11–00150 दिनांक 26–10–2015 के तहत प्राप्त की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

उपाबंध — एक

(कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का परिशिष्ट-एक)

अपात्र उद्योगों की सूची

1. राईस मिल
2. पैडी परबायलिंग एवं क्लीनिंग
3. पोहा एवं मुरमुरा
4. हालर मिल
5. पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, गुटखा बनाना
6. मिनरल वाटर
7. सभी प्रकार के साफ्ट ड्रिंक्स
8. एल्कोहल ड्रिंक
9. भारत सरकार अथवा किसी राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित इकाई
10. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट
11. खाद्य तेल रिफाईन करना (स्वतंत्र इकाई) (रिफाईनरी)
12. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं

टीप :— 1. अपात्र उद्योगों की उक्त सूची के सरल क्र. 1, 2, 3 (केवल मुरमुरा), 4,10 एवं 11 में अंकित उद्योगों को औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रभावी होने की तिथि 01-11-2014 से राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों (औद्योगिक नीति 2014-19 का परिशिष्ट-8) के लिये पात्र उद्योग माना जायेगा.

टीप :— 2. अपात्र उद्योगों की उपरोक्त सूची के सरल क्र. 3 में अंकित पोहा को औद्योगिक नीति 2014-19 के प्रभावी होने की तिथि 01-11-2014 से संपूर्ण राज्य के लिए पात्र उद्योग माना जायेगा.

उपाबंध — दो

परिभाषाएं

(एक) "नवीन औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की श्रेणी में दिनांक 01-11-2012 से 31 अक्टूबर 2019 की समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रु. 100 लाख का निवेश किया गया हो तथा इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ई. एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो. रु. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया गया हो.

(दो) "विद्यमान औद्योगिक इकाई/विद्यमान उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसने "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" की नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो तथा विस्तार के तहत् प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रु. 100 लाख का स्थायी पूंजी निवेश किया गया हो व इस आशय का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति स्थायी लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण पत्र/ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करती हो. रु. 100 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश उद्योग के विस्तार पर करने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. किया हो.

(तीन) "विद्यमान औद्योगिक इकाई के विस्तार" से अभिप्रेत है कि विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग एवं मेगा प्रोजेक्ट एवं अति वृहद उद्योग/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012" की कालावधि अर्थात 01 नवम्बर 2012 से 31 अक्टूबर 2019 की अवधि में प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम मान्य रु. 100 लाख का अतिरिक्त पूंजी निवेश करते हुए 31 अक्टूबर 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उत्पादनरत विद्यमान उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ के दिनांक तक प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेशित पूंजी के 25 प्रतिशत वार्षिक और अतिरिक्त निवेश करते हुए उद्योग विभाग से पंजीकृत मूल क्षमता या विगत 3 वर्षों के औसत उत्पादन (जो अधिक हो) में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि होती हो तथा औद्योगिक नीति 2014-19 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार प्लांट एवं मशीनरी में मान्य निवेश के 25 प्रतिशत एवं उपरोक्तानुसार उत्पादन वृद्धि के साथ कुल रोजगार में भी न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है.

(चार) "लघु उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जो भारत सरकार के "सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई लघु उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो तथा संबधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-1/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ईएम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो, तथा प्लांट एवं मशीनरी मद में न्यूनतम रु. 100 लाख का पूंजी निवेश किया गया हो व अभिलेख वैध दस्तावेज हो.

(पांच) "मध्यम उद्योग" से अभिप्रेत ऐसे औद्योगिक इकाई से है, जो भारत सरकार के "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006" के अन्तर्गत हो एवं जिसका पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिभाषाओं के अनुसार लघु उद्यमों हेतु प्लांट एवं मशीनरी मद में निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक किंतु रु. 10 करोड़ तक हो तथा औद्योगिक उपक्रम के पास सक्षम अधिकारी से यथास्थिति ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस प्राप्त किया हो तथा उद्योग के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करती हो व अभिलेख वैध दस्तावेज हो.

(छः) "वृहद उद्योग" से आशय ऐसे औद्योगिक उद्योग से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 10 करोड़ से अधिक किंतु रु. 100 करोड़ तक स्थायी पूंजी निवेशित हो एवं इस प्रयोजन हेतु औद्योगिक इकाई सक्षम अधिकारी से यथास्थिति आई.ई.एम./आशय पत्र/ औद्योगिक लाईसेन्स धारित करता हो तथा उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र भी धारित करती हो व अभिलेख वैध दस्तावेज हो.

(सात) "मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे औद्योगिक इकाई से है जिसने रुपये 100 करोड़ से अधिक किन्तु रुपये 1000 करोड़ तक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उपरोक्तानुसार उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो.

(आठ) "अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" से आशय ऐसे औद्योगिक इकाई से है जिसने रुपये 1000 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश प्रस्तावित करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना प्रस्तावित किया हो तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यथास्थिति आई.ई.एम/ औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो एवं राज्य शासन के साथ उद्योग की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. निष्पादित किया हो एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर राज्य उद्योग संचालनालय द्वारा जारी उपरोक्तानुसार उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो.

(नौ) नियत दिनांक से अभिप्रेत है कि दिनांक 01 नवंबर 2012.

(दस) "स्थायी पूंजी निवेश" से आशय है औद्योगिक नीति 2009-14 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की वही परिभाषा होगी जो औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-1 के सरल क्रमांक 17 पर अंकित है एवं औद्योगिक नीति 2014-19 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की वही परिभाषा होगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 के सरल क्रमांक 18 पर अंकित है.

टीप :— स्थायी पूंजी निवेश की गणना भी यथास्थिति जो लागू हो औद्योगिक नीति (2009-14 या 2014-19) के प्रावधानों के अनुसार होगी.

(ग्यारह) "भूमि मूल्य" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु क्रय या पट्‌टे पर ली गई भूमि के मूल्य से है तथा "भूमि मूल्य" में सम्मिलित है— भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/सक्षम अधिकारी द्वारा औद्यागिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भू-आवंटन किये जाने पर निर्धारित भू-प्रब्याजि (यथास्थिति जो लागू हो) तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि.

टीप :— निजी भूमि पट्‌टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्‌टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है.

(बारह) "शेड-भवन" से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, केन्टीन, श्रमिक विश्राम कक्ष, वाहन स्टैण्ड, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम.

(तेरह) "विद्युत आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को भुगतान की गयी राशि से है.

टीप :— (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(2) केप्टिव विद्युत संयंत्र को भी विद्युत आपूर्ति निवेश मद में मान्य किया जायेगा.

(3) फैक्ट्री परिसर में किये गये विद्युत स्थापना संबंधी व्ययों को ही मान्य किया जायेगा.

(चौदह) "जल आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक उपक्रम के परिसर में जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो. इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी.

(पन्द्रह) "प्लांट एवं मशीनरी" से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक उपक्रम के उद्योग परिसर में स्थापित मुख्य प्लांट एवं मशीनरी.

टीप :— इस मद में प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशाला, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना पर किये गये पूंजी निवेश से संबंधित व्यय सम्मिलित नहीं किये जायेंगे.

(सोलह) "वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक" से आशय है औद्योगिक नीति 2009-14 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक की वही परिभाषा होगी जो औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-1 के सरल क्रमांक 23 पर अंकित है एवं औद्योगिक नीति 2014-19 की कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले उद्योगों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक की वही परिभाषा होगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 के सरल क्रमांक 24 पर अंकित है.

(सत्रह) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग—कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से आशय है भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की श्रेणी में आने वाले (उपाबंध-एक में दर्शित उद्योगों को छोड़कर) समस्त उद्योग.

(अट्ठारह) "पंजीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धन कर अधिनियम 2005 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यवसायी.

(उन्नीस) "वैध दस्तावेज" से आशय है व उसमें सम्मिलित है—लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम.पार्ट-1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र. इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/ऋण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली हो. भले ही लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम.पार्ट-1 की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो.

(बीस) "मूल्य संवर्धित कर (VAT)" से आशय है छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर विभाग में छत्तीसगढ़ में उत्पादित माल के विक्रय उपरांत इनपुट टैक्स के समायोजन पश्चात् मूल्य संवर्धन के रूप में जमा की गयी राशि.

(इक्कीस) "केन्द्रीय विक्रय कर" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ में स्थापित इकाई में उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर वाणिज्यिक कर विभाग को चुकाये गये केन्द्रीय विक्रय कर से है.

(बाईस) "परियोजना/योजना" से आशय है—सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकार में दाखिल ई.एम.पार्ट-1/ आई.ई.एम. में उपक्रम द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर).

मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रकरणों में राज्य सरकार के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. में परियोजना की कुल लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर).

टीप :— विद्यमान उद्योग के विस्तार के प्रकरणों में पृथक योजना बनाकर सक्षम प्राधिकार को प्रस्तुत कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी.

उपाबंध — तीन
(नियम 6.1)

"छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012" के अन्तर्गत आवेदन का प्रारूप

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2. औद्योगिक इकाई का संगठन

3. उद्यमी का वर्गीकरण

4. औद्योगिक इकाई का प्रकार—लघु/मध्यम/वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट

5. औद्योगिक इकाई का स्वरूप–नवीन/विस्तार/

6. औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल
   1. स्थान
   2. विकासखण्ड
   3. जिला

7. पंजीयन
   1. ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम.
   2. ई.एम.पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र व/या राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू.
   3. वेट कर अधिनियम एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
   4. पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति
      अ– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
      ब– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
      स– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
      द– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
      ई– भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)
   5. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
   6. भूमि व्यपवर्तन/निर्धारण आदेश
   7. स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रस्ताव
   8. कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक
   9. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
   10. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)

11. **सकल पूंजीगत निवेश (राशि लाखों में)**

क्र.		राशि
(1)	भूमि— (भूमि का रकबा ....)	
	अ- वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/	
	ब- मुद्रांक शुल्क	
	स- पंजीयन शुल्क	
	योग	
(2)	शेड भवन—	
	1. फैक्ट्री भवन	
	2. शेड	
	3. प्रयोगशाला भवन	
	4. अनुसंधान भवन	
	5. प्रशासकीय भवन	
	6. केन्टीन	
	7. श्रमिक विश्राम कक्ष	
	8. वाहन स्टैन्ड	
	9. सिक्यूरिटी पोस्ट	
	10. माल गोदाम	
	योग	
(3)	प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) —	
	1. प्लांट एवं मशीनरी	
	2. Intangible Assets	
	3. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयमुक्त संयंत्र एवं उपकरण.	
	4. परीक्षण उपकरण	
	6. स्थापना व ट्रान्सपोर्टिंग संबंधी व्यय	
	योग	
	विद्युत आपूर्ति निवेश —	
	अ- छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर).	
	ब- केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
	योग	
(4)	जल आपूर्ति निवेश — औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
(5)	**योग**	
	महायोग —	

12. **सकल पूंजीगत निवेश के स्रोत—**

1- स्वयं के स्रोत

2- अंश पूंजी

3- ऋण

अ- वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब- बैंकों से ऋण

4- योग

13. **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अकुशल वर्ग				
अ				
ब				
स				
कुशल वर्ग				
अ				
ब				
स				
प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग				
अ				
ब				
स				
योग				

14. विद्युत भार

15. **औद्योगिक इकाई के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन अन्य उद्योगों का विवरण—**

1- नाम व पता

2- कारखाना स्थल

अ- ग्राम/नगर

ब- तहसील

स- जिला

द- विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण

16. आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण

17. पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/पूंजीगत निवेश सहायता मिली हो तो उसका विवरण

18. अन्य

19. संलग्न दस्तावेजों की सूची

टीप :— उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें.

स्थान —

दिनांक —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ पत्र

1. आवेदन पत्र में उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है.

2. छत्तीसगढ़ राज्य पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012 में अनुदान वितरण की प्रक्रिया जो विभाग द्वारा अपनाई जायेगी वह मुझे स्वीकार है.

3. छत्तीसगढ़ राज्य पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012 के प्रावधानों का पूर्ण पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जायेगा.

4. शपथपूर्वक घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं 33 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से प्रारंभ कर पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता की सम्पूर्ण पात्रता अवधि में तथा उसके उपरांत 05 वर्ष तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा.

5. औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में पूंजीगत निवेश सहायता हेतु स्थायी पूंजी निवेश अनुदान कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है.

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में स्थायी पूंजी अनुदान/पूंजीगत निवेश सहायता हेतु आवेदन किया है/अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है.

6. उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता की राशि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जायेगी.

स्थान —
दिनांक —

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध — चार

1. वैद्य ई.एम.पार्ट-1/आई.ई.एम./

2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ई.एम. पार्ट-2/वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज.

3. राज्य शासन एवं औद्योगिक इकाई के मध्यम निष्पादित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.).

4. चार्टर्ड एकाउन्टेंट का निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र (मूल प्रति)

5. चार्टर्ड इंजीनियर/एप्रूव्ड वेल्यूवर का निर्धारित प्रारूप में निर्माण कार्यों के मूल्यांकन/मशीनरी के मूल्यांकन से संबंधित प्रमाण पत्र (सूक्ष्म, लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में) (मूल प्रति)

6. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची (मूल प्रति)

7. सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट.

8. भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभागों/वित्तीय संस्थाओं/बोर्ड/लघु उद्योग विकास बैंक/वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से स्थायी पूंजी निवेश पर आधारित कोई अनुदान न लिये जाने बाबत् शपथ पत्र.

9. वाणिज्यिक कर विभाग से वेटकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र

10. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा.

11. मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित सम्मति.

12. भूमि व्यपवर्तन/अनुमति से संबंधित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र.

13. नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग के द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं छत्तीसगढ़ विकास नियम 1984 के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा.

14. स्थानीय निकायों यथा—ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति/अनापत्ति प्रमाण पत्र

15. छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/निजी उपक्रम से विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र.

16. चीफ इन्सपेक्टर ऑफ बायलर्स द्वारा इंडियन बायलर अधिनियम के तहत बायलर स्थापित करने बाबत् सम्मति/अनुज्ञा.

17. भू-स्वामित्व/लीज से संबंधित दस्तावेज

18. बैंक ऋण से स्वीकृति एवं वितरण प्रमाण पत्र

उपाबंध — पांच
(नियम 6.2)

(अभिस्वीकृति)

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला .... छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता ....

.... द्वारा ''छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012'' .... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक ....

(अक्षरी) .... को प्राप्त हुआ है. प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है.

(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय की सील

प्रति,
मेसर्स ....
....
....

उपाबंध — छः
(नियम 6.3)

''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत क्लेम का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन''

निरीक्षण/सत्यापन दिनांक ....

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता—
2. उद्योग का संगठन
3. **उद्यमी का वर्गीकरण —** सामान्य/अप्रवासी भारतीय - शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक/अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/सेवानिवृत्त सैनिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति.
4. **औद्योगिक इकाई का प्रकार—**सूक्ष्म एवं लघु/मध्यम/वृहद/मेगा प्रोजेक्ट/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट.
5. **औद्योगिक इकाई का स्वरूप—** नवीन/विस्तार/शवलीकरण/फारवर्ड इंटीग्रेशन/बैकवर्ड इंटीग्रेशन
6. **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल**
   1. स्थान
   2. विकासखण्ड
   3. जिला

7. **पंजीयन**
   1. लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट-1/आई.ई.एम.
   2. ई.एम.पार्ट-2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र
   3. प्रांतीय वाणिज्यिक कर पंजीयन
   4. केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन
   5. पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति
      अ- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
      ब- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत)
      स- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
      द- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत)
      ई- भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो)

   6. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
   7. भूमि व्यपवर्तन आदेश
   8. स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

8. कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक
9. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
10. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य)
11. **सकल पूंजीगत लागत का विवरण**

क्र.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार सकल पूंजीगत लागत	राशि	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक .... तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश रुपयों में
(1)	(2)	(3)	(4)

(1) **भूमि—**
   अ- भूमि का रकबा
   ब- वास्तविक क्रय मूल्य/प्रीमियम/
   स- मुद्रांक शुल्क
   द- पंजीयन शुल्क

   योग

(2) **शेड भवन—**
   1. फैक्ट्री भवन
   2. शेड
   3. प्रयोगशाला भवन
   4. अनुसंधान भवन
   5. प्रशासकीय भवन
   6. केन्टीन
   7. श्रमिक विश्राम कक्ष
   8. वाहन स्टैन्ड
   9. सिक्यूरिटी पोस्ट
   10. माल गोदाम

   योग

(1)	(2)	(3)	(4)
(3)	**प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) —**		
	1. प्लांट एवं मशीनरी		
	2. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण.		
	3. परीक्षण उपकरण		
	4. स्थापना संबंधी व्यय		
	योग		
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश —**		
	अ- छ.ग. राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर).		
	ब- केप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पर किया गया निवेश.		
	योग		
(5)	**जल आपूर्ति निवेश —**		
	औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्यूरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)		
	योग		
	महायोग —		

12. **रोजगार—**

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रियायत		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार का प्रतिशत
		औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ. इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अकुशल वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
2.	कुशल वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
3.	प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग					
	अ					
	ब					
	स					
	महायोग					

13. **सकल पूंजी निवेश संबंधी भौतिक स्थिति**

1– भूमि (आवंटित भूमि व औद्योगिक उपयोग में लाई गयी भूमि का विवरण)

2– भूमि विकास (समतलीकरण, गहरीकरण व डेनेज निर्माण)

3– विद्युत आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

4– जल आपूर्ति (व्ययों का विवरण)

14. **विद्युत भार**

15. **औद्योगिक इकाई की अन्य इकाईयों को दिये गये अनुदान/छूट एवं रियायतों पर टीप (यदि लागू हो)—**

1– नाम व पता

2– कारखाना स्थल

अ– ग्राम/नगर

ब– तहसील

स– जिला

16. **टीप/अभिमत/अनुशंसा—**

1. भौतिक स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के समय गेस्ट हाउस, पूजा घर, मंदिर, कर्मचारी आवास, आवासीय मकान, बाउन्ड्रीवाल, पार्क एवं भूमि विकास पर किये गये निवेश के संबंध में.
2. स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची का सत्यापन इकाई के लेखा पुस्तकों से किये जाने बाबत्.
3. पूर्व में प्राप्त स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/मार्जिन मनी अनुदान के संबंध में.
4. विलंबित आवेदनों पर इकाई द्वारा बतायें गये विलंब के कारणों पर अभिमत.
5. भारत सरकार/राज्य शासन या इसके किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/आयोग/मंडल/वित्तीय संस्था/बैंक से अनुदान प्राप्त न करने बाबत् टीप.
6. संतृप्त श्रेणी के उद्योग बाबत्.
7. स्थायी पूंजी निवेश को अमान्य करने के कारण (मदवार, राशिवार)
8. विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण.
9. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन की पात्रता के संबंध में स्पष्ट अनुशंसा.
10. स्थायी पूंजी निवेश की सूची का लेखा पुस्तकों से सत्यापन किये जाने के संबंध में टीप.
11. अन्य बिन्दु, जो क्लेम प्रकरण पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक समझे जावें.

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)
नाम
पद
कार्यालय

निरीक्षणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा/अभिमत एवं टीप पर मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक की अनुशंसा एवं अभिमत

उपाबंध — सात
(नियम 6.8)

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत आदेश

उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. .... के अन्तर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता नियम 2012 के नियम क्रामंक “6.8” में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन नियमों के अधीन निम्नानुसार पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा जारी की जाती है :—

1. औद्योगिक इकाई का नाम व पता
2. उद्योग का स्वरूप (नवीन/विस्तार)
3. उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता—
4. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक
5. औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल—
   (स्थान, विकासखंड व जिला)
6. अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश
7. अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश का 150 प्रतिशत पूंजीगत निवेश सहायता
8. वार्षिक पूंजीगत निवेश सहायता (अवधि .... से .... तक)
9. मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग को किया गया मूल्य संवर्धित शुद्ध कर की वार्षिक राशि (अवधि .... से .... तक)
10. स्वीकृत पूंजीगत निवेश सहायता अवधि .... हेतु राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी—

....
....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा.

मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उद्योग आयुक्त/
संचालक उद्योग जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

उपाबंध — आठ

(नियम 7.8)

प्रांतीय वाणिज्यिक कर (वेटकर) व केन्द्रीय विक्रय कर भुगतान बाबत प्रमाण पत्र

1. औद्योगिक इकाई .... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री .... में स्थित है, जिसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक .... है तथा मूल्य संवर्धन कर अधिनियम के तहत् वेट कर पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... एवं केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .... है, ने निम्नानुसार मूल्य संवर्धन कर अधिनियम के तहत मूल्य संवर्धन कर (वेट कर) राशि का भुगतान दिनांक .... से .... तक की अवधि में वाणिज्यिक कर विभाग को किया है :—

1 निर्मित उत्पादनों के विक्रय पर भुगतान किया गया वेट कर—

2 (—) औद्योगिक इकाई के द्वारा निर्मित उत्पादनों हेतु किये गये — क्रय पर औद्योगिक इकाई द्वारा भुगतान किया गया वेट कर जो समायोजन योग्य है (आगत कर)

3 (—) औद्योगिक इकाई द्वारा किया गया वेट कर भुगतान जो— वापसी योग्य है.

4 वाणिज्यिक कर विभाग को जमा किया गया शुद्ध वेट कर— (1-2-3)

2. औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को अन्य कोई देय राशियां भुगतान हेतु शेष नहीं है.

आयुक्त/अपर आयुक्त/उपायुक्त वाणिज्यिक
कर विभाग

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-19/2015/12.—छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2 (1) (ख) सहपठित नियम 6 (1) (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा तालिका-एक के कॉलम 2 में उल्लिखित खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से कॉलम 3 में उल्लिखित जिले के समस्त क्षेत्र को आगामी आदेश पर्यन्त ''प्रभावित क्षेत्र'' घोषित करता है.

तालिका-एक

क्र. (1)	खदान/खदान समूह (2)	प्रभावित जिले (3)
1.	जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे	1. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2. बस्तर 3. सुकमा 4. बीजापुर 5. नारायणपुर 6. कोण्डागांव

(1)	(2)	(3)
2.	जिला बालोद अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे	1. बालोद 2. राजनांदगांव 3. दुर्ग 4. धमतरी 5. कांकेर
3.	जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरबा 2. जांजगीर-चांपा 3. बिलासपुर 4. जशपुर
4.	जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरिया 2. बिलासपुर
5.	जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. रायगढ़ 2. जशपुर 3. महासमुन्द
6.	जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टे	1. बलौदाबाजार 2. रायपुर

2. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6 (1) (ग) के अनुसार उपरोक्त पैरा 1 में उल्लेखित खदान व खदान समूह के अतिरिक्त अन्य खनिजों की खदान एवं खदान के समूह की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र संबंधित जिले के भीतर होगा.

3. यह आदेश 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-47/2015/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख सहपठित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित तालिका-एक के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के सामने उक्त तालिका के तत्स्थानी कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन करती है, अर्थात :—

तालिका-एक

क्र.	जिला	जिला खनिज संस्थान न्यास का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	रायपुर	रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार जिला खनिज संस्थान न्यास
3.	गरियाबंद	गरियाबंद जिला खनिज संस्थान न्यास

(1)	(2)	(3)
4.	महासमुंद	महासमुंद जिला खनिज संस्थान न्यास
5.	धमतरी	धमतरी जिला खनिज संस्थान न्यास
6.	दुर्ग	दुर्ग जिला खनिज संस्थान न्यास
7.	बालोद	बालोद जिला खनिज संस्थान न्यास
8.	बेमेतरा	बेमेतरा जिला खनिज संस्थान न्यास
9.	राजनांदगांव	राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास
10.	कबीरधाम	कबीरधाम जिला खनिज संस्थान न्यास
11.	बस्तर	बस्तर जिला खनिज संस्थान न्यास
12.	कोंडागांव	कोंडागांव जिला खनिज संस्थान न्यास
13.	नारायणपुर	नारायणपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
14.	उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर जिला खनिज संस्थान न्यास
15.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला खनिज संस्थान न्यास
16.	सुकमा	सुकमा जिला खनिज संस्थान न्यास
17.	बीजापुर	बीजापुर जिला खनिज संस्थान न्यास
18.	बिलासपुर	बिलासपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
19.	मुंगेली	मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास
20.	कोरबा	कोरबा जिला खनिज संस्थान न्यास
21.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा जिला खनिज संस्थान न्यास
22.	रायगढ़	रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास
23.	जशपुर	जशपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
24.	सरगुजा	सरगुजा जिला खनिज संस्थान न्यास
25.	बलरामपुर	बलरामपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
26.	सूरजपुर	सूरजपुर जिला खनिज संस्थान न्यास
27.	कोरिया	कोरिया जिला खनिज संस्थान न्यास

2. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 10 के अनुसार तालिका-एक के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यासों में, निम्नलिखित न्यासियों की नियुक्ति करती है, अर्थात् :—

तालिका-दो

स. क्र. (1)	न्यासी के पद के नाम/विवरण (2)	न्यास में पदनाम (3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	तीन जनप्रतिनिधि (व्यवस्थापक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3.	जिले के खनिज रियायतधारियों में से मात्र तीन प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
4.	प्रभावित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के कोई दो सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामांकित)	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
6.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
7.	वन मंडलाधिकारी	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक पंचायत	पदेन सदस्य
10.	अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	पदेन सदस्य
11.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
12.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	उप संचालक कृषि	पदेन सदस्य

(1)	(2)	(3)
15.	उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी	पदेन सदस्य
16.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
17.	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
18.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
19.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
20.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
21.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

3. छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2(1) (ठ) सहपठित नियम 14 के अनुसार तालिका-एक के कॉलम (3) में उल्लिखित जिला खनिज संस्थान न्यासों के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति गठित करती है, अर्थात् :—

तालिका-तीन

स. क्र. (1)	पद के नाम (2)	न्यास में पदनाम (3)
1.	संबंधित जिले के कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	पदेन सदस्य सचिव
3.	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4.	वन मण्डलाधिकारी	पदेन सदस्य
5.	उप संचालक, पंचायत	पदेन सदस्य
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड.	पदेन सदस्य
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)/खनि अधिकारी	पदेन सदस्य
9.	उप संचालक कृषि/उद्यानिकी	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य
11.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	पदेन सदस्य
12.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा	पदेन सदस्य
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	पदेन सदस्य
14.	सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	पदेन सदस्य
15.	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग	पदेन सदस्य
16.	जिला रोजगार अधिकारी	पदेन सदस्य
17.	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	पदेन सदस्य

4. यह अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्रमांक एफ 7-47/2015/बारह.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 2nd January 2016

No. F 7-47/2015/XII.—In exercise of the powers conferred by Section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) read with rule 3 of the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, the State Government, hereby, constitutes the District Mineral Foundation Trust mentioned in column (3) of TABLE-I for the corresponding districts mentioned in column (2) of the said table, namely :—

TABLE-I

S. No. (1)	District (2)	Name of the District Mineral Foundation Trust (3)
1.	Raipur	Raipur District Mineral Foundation Trust
2.	Baloda Bazar	Baloda Bazar District Mineral Foundation Trust
3.	Gariaband	Gariaband District Mineral Foundation Trust
4.	Mahasamund	Mahasamund District Mineral Foundation Trust
5.	Dhamtari	Dhamtari District Mineral Foundation Trust
6.	Durg	Durg District Mineral Foundation Trust
7.	Balod	Balod District Mineral Foundation Trust
8.	Bemetara	Bemetara District Mineral Foundation Trust
9.	Rajnandgaon	Rajnandgaon District Mineral Foundation Trust
10.	Kabirdham	Kabirdham District Mineral Foundation Trust
11.	Bastar	Bastar District Mineral Foundation Trust
12.	Kondagaon	Kondagaon District Mineral Foundation Trust
13.	Narayanpur	Narayanpur District Mineral Foundation Trust
14.	Kanker (Uttar Bastar)	Kanker (Uttar Bastar) District Mineral Foundation Trust
15.	Dantewada (Dakshin Bastar)	Dantewada (Dakshin Bastar) District Mineral Foundation Trust
16.	Sukma	Sukma District Mineral Foundation Trust
17.	Bijapur	Bijapur District Mineral Foundation Trust
18.	Bilaspur	Bilaspur District Mineral Foundation Trust
19.	Mungeli	Mungeli District Mineral Foundation Trust
20.	Korba	Korba District Mineral Foundation Trust
21.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa District Mineral Foundation Trust
22.	Raigarh	Raigarh District Mineral Foundation Trust
23.	Jashpur	Jashpur District Mineral Foundation Trust
24.	Surguja	Surguja District Mineral Foundation Trust
25.	Balrampur	Balrampur District Mineral Foundation Trust
26.	Surajpur	Surajpur District Mineral Foundation Trust
27.	Koriya	Koriya District Mineral Foundation Trust

2. As per rule 10 of the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, the following trustees are appointed in the District Mineral Foundation Trusts mentioned in column (3) of TABLE-I, namely :—

TABLE-II

S. No. (1)	Name of the Post/Details of the Trustee (2)	Designation in the trust (3)
1.	Collector of the concerned district	Ex officio Chairperson
2.	Three Public Representatives (Nominated by the Settlor)	Members
3.	Up to three Representatives from among the Mineral Concession Holders in the District (Nominated by the Collector)	Members

(1)	(2)	(3)
4.	Any two Sarpanchs of Gram Panchayats of directly affected areas (Nominated by the Collector)	Members
5.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
6.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
7.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
8.	Deputy Director (Mineral Administration)/Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
10.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
11.	District Education Officer	Ex Officio Member
12.	Assistant Commissioner Tribal Walfare	Ex Officio Member
13.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
14.	Deputy Director Agriculture	Ex Officio Member
15.	Deputy/Assistant Director Horticulture	Ex Officio Member
16.	Executive Engineer , Public Works Department	Ex Officio Member
17.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
18.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
19.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
20.	District Employment Officer	Ex Officio Member
21.	General Manager, District Trade and Industries Centre	Ex Officio Member

3. As per rule 2 (l) (l) read with rule 14 of the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, the following Managing Committee is constituted for the District Mineral Foundation Trusts mentioned in column (3) of TABLE-I, namely :—

TABLE-III

S. No. (1)	Name of the Post (2)	Designation in the Trust (3)
1.	Collector of the concerned District	Ex officio Chairperson
2.	Chief Executive Officer, Zila Panchayat	Ex officio Member Secretary
3.	Superintendent of Police	Ex Officio Member
4.	Divisional Forest Officer	Ex Officio Member
5.	Deputy Director Panchayat	Ex Officio Member
6.	Chief Medical and Health Officer	Ex Officio Member
7.	Superintending Engineer/Executive Engineer Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd;	Ex Officio Member
8.	Deputy Director (Mineral Administration)/Mining Officer	Ex Officio Member
9.	Deputy Director Agriculture/Horticulture	Ex Officio Member
10.	Executive Engineer , Public Works Department	Ex Officio Member
11.	Executive Engineer, Public Health Engineering Department	Ex Officio Member
12.	Executive Engineer, Rural Engineering Services	Ex Officio Member
13.	District Education Officer	Ex Officio Member
14.	Assistant Commissioner Tribal Welfare	Ex Officio Member
15.	Executive Engineer, Water Resources Department	Ex Officio Member
16.	District Employment Officer	Ex Officio Member
17.	General Manager, District Trade and Industries Centre	Ex Officio Member

4. This Notification shall be deemed to have come into force on 12-01-2015.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5315/एफ-08/78/NAIS/2015-16/14-2.—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) अंतर्गत रबी वर्ष 2015 हेतु जारी अधिसूचना क्र. 4658, दिनांक 24-11-2015 के अनुक्रम में सहायक आयुक्त, वास्ते संचालक, भू-अभिलेख, छ.ग. रायपुर के पत्र क्र. 9436, दिनांक 04-12-2015 के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है :—

1. कुछ पटवारी हल्के अधिसूचित होने से छूट जाने से अधिसूचना में शामिल किया जाना है.

क्र.	जिला	तहसील	रा.नि.मं.	प.ह. का नंबर व नाम	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	महासमुंद	सरायपाली	सरायपाली	9-मोहदा	आलू फसल सम्मिलित करना है. रकबा 15 हेक्ट. अधि. पृ-8.
2.	बेमेतरा	थानखम्हरिया	थानखम्हरिया	15-धिवरी	गेहूं असिंचित फसल सम्मिलित करना है. रकबा 37 हेक्ट. अधि. पृ.-21.
3.	बिलासपुर	मरवाही	मरवाही	2-सिवनी	चना फसल सम्मिलित करना है. रकबा 15 हेक्ट. अधि. पृ.-40.
4.	सरगुजा	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर-1	15-जगदीशपुर	अलसी फसल सम्मिलित करना है. रकबा 15 हेक्ट. अधि. पृ.-50.
		लुण्ड्रा	लुण्ड्रा	20-बटवाही	गेहूं (सिंचित) फसल सम्मिलित करना है. रकबा 92 हेक्ट. अधि. पृ.-52.
5.	बलरामपुर	सामरी	कुसमी	29-कोरन्धा	गेहूं (सिंचित) फसल सम्मिलित करना है. रकबा 31 हेक्ट. अधि. पृ.-60.
6.	दुर्ग	पाटन	पाटन	33-दरबार भोथली	चना फसल सम्मिलित करना है. रकबा 40 हेक्ट. अधि. पृ. 12.
7.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	भानुप्रतापपुर	16-मुंगवाल	अलसी फसल सम्मिलित करना है. रकबा 36 हेक्ट. अधि. पृ. 73.

2. जिला दुर्ग में पटवारी हल्का त्रुटिपूर्ण अंकित होने से 8 के स्थान पर 9 अंकित किया जाना है.

क्र.	जिला	तहसील	रा.नि.मं.	प.ह. का नंबर व नाम	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दुर्ग	पाटन	पाटन	33-दरबार भोखली	गेहूं सिंचित फसल हटाना है. रकबा 3.35 हेक्ट. अधि. पृ.-12.

3. जिला मुंगेली के तहसील पथरिया में राजस्व निरीक्षक मंडल पथरिया एवं सरगांव में पटवारी हल्का नंबर सुधार किया जाना है.

क्र.	जिला	तहसील	रा.नि.मं.	प.ह. का नंबर व नाम	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मुंगेली	पथरिया	पथरिया	1 से 18 एवं 21 से 24	पथरिया राजस्व निरीक्षक मंडल में शामिल है. पृ.क्र. 43.
2.	मुंगेली	मुंगेली	सरगांव	पटवारी हल्का नंबर 19, 20 एवं 26 से 39 तक.	सरगांव राजस्व निरीक्षक मंडल में शामिल है. पृ.क्र. 43.
3.	रायगढ़	लैलुंगा	लैलुंगा	9-पोतरा	चना फसल में पटवारी हल्का नंबर 8 हटाकर 9 करना है. पृ.क्र. 49.

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-30/तीन-जेल/2012.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 3 की उप धारा (1) सहपठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उप जेल कबीरधाम को उन्नयन करती है और उसे जिला जेल के समकक्ष घोषित करती है.

No. F 3-30/Three-Jail/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) one of Section 3 read with Section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, upgrades Sub Jail Kabirdham and notifies it equivalent to District Jail.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-01/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. सी. श्रीवास्तव, (भापुसे-1987) अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि/रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 26-12-2015 से 08-01-2016 (14 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24, 25 दिसम्बर 2015 एवं 09, 10 जनवरी 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव आगामी आदेश तक अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि/रेल/यातायात पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री आर. सी. श्रीवास्तव (भापुसे-1987) अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि/रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, अअवि/रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर का चालू प्रभार श्री राजेश मिश्रा, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 10-19/2015/16.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निर्देशित करता है कि नीचे संलग्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित उक्त विधान की धाराओं के प्रावधान, उसी तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थापनों के वर्गों को स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे :—

अनुसूची

स्थापनाओं का वर्ग	अधिनियम के उपबंध जो लागू नहीं होंगे	निबंधन तथा शर्तें	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
सूचना प्रौद्योगिकी स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा उद्योग	धारा 9 (1), धारा 11 (1) व (2), धारा 12, धारा 13 (1), धारा 25	(1) किसी भी महिला को प्रातः 7.00 बजे के पूर्व और रात्रि 9.00 बजे के पश्चात् कार्य करने हेतु नियोजित किये जाने पर निवास से कार्यस्थल पर एवं कार्यस्थल से निवास के आवागमन हेतु परिवहन एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नियोजक द्वारा सुनिश्चित की जावेगी. (2) प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा. (3) अधि-समय कार्य के लिये, कर्मचारी उक्त अधिनियम की धारा 55 के प्रावधानों के तहत दुगुनी दर से वेतन पाने का हकदार होगा.	संपूर्ण छत्तीसगढ़

No. F 10-19/2015/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Chhattisgarh Shops and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958) the State Government are pleased to direct that the provisions of the sections of the said Act mentioned in Column No. (2) of the Table annexed here to shall not apply to classes of establishments mentioned in Column No. (1) subject to the terms and conditions specified in Column No. (3) thereof :—

SCHEDULE

Classes of Establishments	Provisions of the sections of the Act which shall not apply	Terms and Conditions	Area
(1)	(2)	(3)	(4)
Establishments of the Information Technology (IT) and Information Technology enabled Services (ITeS) industry	Sub-section (1) of Section 9, Sub-section (1) and (2) of Section 11, Section 12, Sub-section (1) of Section 13, Section 25	1. In the event of any women employed to work before 7.00 am in the morning and after 9.00 pm in the night, the entire arrangement of transportation and security from residence to work place and from work place to residence will be ensured by the employer. 2. Every employee shall be given a weekly off. 3. For overtime work, the employee shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages as per provisions of section 55 of the said act.	The whole of the Staet of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक 5545/एफ-2-41/एस-2/31/2008.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय के आदेश दिनांक 16-09-2015, 03-11-2015 एवं 26-11-2015 द्वारा प्रदेश की 117 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 37-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इन तहसीलों की, चालू वर्ष 2015-16 की खरीफ फसल की, कृषकों के जलकर की राशि को माफ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. नारद, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक/9/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	मानपुर प.ह.नं. 13	3.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक 5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पीपरखूंटी प.ह.नं. 15	1.971	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.).	कोटरियाडांड़ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक 6/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	परासी प.ह.नं. 05	0.891	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	कुम्हारी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक 10/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंजनी प.ह.नं. 13	0.028	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड. जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	मल्हनिया जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक 11/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गौरेला प.ह.नं. 19	0.146	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रारोड. जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	मल्हनिया जलाशय के माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	गोढ़ा प.ह.नं. 07	4.192	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड.	गोढ़ा जलाशय के शीर्ष एवं नहर कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	करंगरा प.ह.नं. 12	0.518	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड. जिला बिलासपुर (छ.ग.)	करंगरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	कोलबिर्रा प.ह.नं. 27	0.476	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, जिला बिलासपुर (छ.ग.).	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	सिलपहरी प.ह.नं. 20	2.321	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	घुरुदेवनाला जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	जिल्दा प.ह.नं. 17	4.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	कनईबहरा प.ह.नं. 18	4.253	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रा	कोड़गार प.ह.नं. 18	2.799	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग मरवाही, मु. पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	बारोडीह बम्हनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बालोद, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	लासाटोला	0.15	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही.	डुण्डेरा भुरकाभाट मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सिंह राणा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1103/भू-अर्जन प्र.क्र.11/अ-82//2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	तुरकीनडीह	0.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 01 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1104/भू-अर्जन प्र.क्र. 13/अ-82//2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	मोहतरा	1.006	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 04 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1105/भू-अर्जन प्र.क्र. 14/अ-82//2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	खपराडीह	0.088	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 01 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1106/भू-अर्जन प्र.क्र. 15/अ-82//2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	सोनाखान	1.383	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय के आर.सी.सी. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1107/भू-अर्जन प्र.क्र. 16/अ-82//2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	भुसड़ीपाली	0.763	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय के आर.सी.सी. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 21 दिसम्बर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	जड़जड़ा प.ह.नं. 50	0.18	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	सोढूर नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 दिसम्बर 2015

क्रमांक 98/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1254	0.008
	1255	0.012
	1256	0.040
योग	3	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती-सिंघनसरा मार्ग पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-सिरवाबांध, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
291	0.04
292/2	0.11
295/1	0.09
296/1	0.01
296/2	0.02
297/1	0.05
362	0.10
363/1	0.04
366	0.01
370	0.04
371/1	0.02
371/2	0.02
402/1	0.02
402/2	0.04
403	0.06
423	0.07
424	0.06
297/2	0.07
योग	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदहरा जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक 08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पिकरी, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.035 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/2	0.012
50/3	2.023
योग	2.035

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिकरी जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक 09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरभट्ठा, प.ह.नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	39/2	0.08
योग		0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक 12/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलदहरा, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	88	0.23
योग		0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदहरा जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक 13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलईपार, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	8	0.02
योग		0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलदहरा जलाशय योजना के नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शान्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक/11523/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-पोंडीउपरोडा

(ग) नगर/ग्राम-रामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.82 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	34/2क	0.3
	35/2	0.08
	43/3	
	43/4	0.15
	35/3	0.31
	57/1	0.20
	57/2	0.12
	57/3	0.12
	264	0.29
	265	0.15
	303/2	0.62
	266	0.1
	267	0.4
	272/1	0.1
	273	0.16
	268	0.05
	310/3	0.6
	272/2	0.04
	274/1	0.45
	272/3	0.01
	274/2	0.04
	270/2	0.04
	271	0.4
	270/1	0.12
	270/4	0.28
	304/2	0.06
	270/3	0.28
	303/1	0.14
	303/3	0.24
	305	0.05
	306	0.5
	308	0.1
	307	0.08
	310/1ख	0.15
	310/2	0.12
	310/1क	0.6
	310/ग	0.15
	314/1	0.12
	314/2	0.13
योग	39	7.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोडा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्रमांक/11900/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा

(ख) तहसील-कटघोरा

(ग) नगर/ग्राम-अमरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.19
21	0.34
योग 2	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्रमांक/11901/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
630/1	0.33
610/1	0.06
630/3	0.10
610/2	0.15
627	0.45
628	0.01
624	0.13
611	0.22
623	0.10
603/1	0.24
603/2	0.08
603/3	0.12
602	0.10
612/3	0.03
625	0.04
योग 15	2.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्रमांक/11902/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-हुंकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
449/1	0.10
449/2	0.10
450	0.03
452/4	0.14
452/1ख	0.06
452/1ग	0.05

(1)	(2)
454	0.08
455	0.24
110/2	0.40
452/1क	0.29
433	0.06
430	0.33
440	0.08
423/9	0.26
423/7	0.20
423/3	0.26
423/2	0.16
423/4	0.20
306/3	0.09
305/2	0.12
329	0.05
313	0.13
312/2	0.02
306/2	0.05
315	0.17
317	0.38
330	0.21
147/1	0.08
328/1	0.15
328/2	0.15
239/1	0.07
237/1	0.13
238/1	0.18
237/2	0.04
238/2	0.18
239/2	0.08
242/2	0.07
231	0.12
234	0.02
180/2क	0.05
180/2ख	0.05
178/2	0.36
177	0.24
100	0.03
101	0.19
96/1क	0.14
96/3	0.12
96/4	0.11
154/4	0.22
92	0.02
102/2	0.20
102/1	0.06
103/2	0.18
603/1	0.06
150/3	0.01
152/3	0.20
106	0.26
148/2	0.03
148/2क	0.02
148/1	0.21
112/1	0.31
110	0.26
111	0.08
110/3क	0.14
योग 64	9.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्रमांक/11903/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-महेशपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
611	0.52
610/1	0.05

(1)	(2)
579/2	1.21
579/7	0.54
579/15	0.47
567/1	0.68
579/6ख	0.04
579/11	0.50
311	0.08
579/4	1.10
585	0.05
586	0.36
516	0.19
505	0.42
588	0.57
589	0.12
514	0.05
511	0.05
515	0.29
413	0.06
509	0.09
394	0.04
504/15	0.39
504/1च	0.15
506	0.14
391	0.07
306	0.24
421	0.01
423/4	0.12
420	0.01
504/1ख	0.05
422	0.02
419	0.45
404	0.03
418/2	0.02
409	0.02
390/3	0.02
504/1च	0.15
407/1	0.05
407/2	0.04
405	0.12
402	0.02
398	0.04
402	0.12
393	0.04
312	0.12
396	0.03
308	0.01
392/1	1.20
395	0.14
305	0.18
योग 51	11.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्रमांक/11904/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जेंजरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
762/2	0.14
761/3	0.03
742/1	0.10
742/2	0.30
740/2	0.06
741	0.14
743/1	0.14
725/2	0.24
770/7, 771/7	0.09
723/2	0.02
665/1	0.26
666/1	0.03
721/1	0.34

(1)	(2)
722/2	0.10
721/2	0.27
695/2	0.38
556/2	0.02
725/1	0.31
718/1	0.07
673	0.01
674	0.12
718/5	0.25
669	0.62
39/5	0.17
556/1	0.06
609	0.18
607/3	0.10
610/2	0.34
607/2	0.65
607/1/क/2	0.03
612/2	0.10
613	0.39
612/1	0.14
612/2	0.30
614/1	0.23
625	0.08
591	0.71
626	0.10
25/12	0.60
28/5क	0.15
28/5ख	0.15
28/6	0.13
28/1	0.48
34/3	0.02
30/1	0.01
30/2	0.16
31	0.12
39/2	0.16
51	0.14
21	0.28
46/1क	0.14
47/3	0.47
50/4	0.83
765/1	0.18
765/2क	0.02
743/3	0.22
39/1	0.31
39/6	0.07
665/2	0.12
666/2	0.02
670	0.02
770/8, 771/8	0.09
772/1	0.16
772/3	0.31
772/2	0.04
777	0.06
योग 68	13.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटघोरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1710/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-अखराडांड़, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136	0.16

	(1)	(2)
	135	0.13
	134	0.29
	107	0.03
	153	0.01
	156	0.02
	154	0.04
	112	0.12
	96	0.03
	106	0.10
	105	0.02
	95	0.01
	97/2	0.05
	103/1	0.03
	73	0.10
	93	0.08
	100	0.11
	104	0.06
	97/1	0.01
	98	0.03
	72	0.01
	71/2	0.10
योग	22	1.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चिरमिरी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1712/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-बारी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.42 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	913	0.03
	895	0.18
	916	0.45
	923	0.43
	916	0.29
	943	0.35
	944	0.04
	918	0.49
	924	0.13
	898	0.21
	324	0.08
	326	0.06
	435	0.01
	767	0.08
	865	0.02
	464/3	0.03
	464/2	0.04
	449/1	0.01
	449/3	0.04
	449/4	0.02
	447	0.01
	449/2	0.04
	432	0.03
	450	0.01
	434	0.01
	804	0.05
	805	0.02
	807	0.02
	811	0.04
	856	0.01
	855	0.02
	856	0.01
	409	0.08
	806	0.02
योग	34	3.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सत्तीडबरा जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख), जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्रमांक/1209/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./हल्का पुनर्गठन/15.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के.सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील दंतेवाड़ा एवं कुआकोण्डा से विघटन पश्चात् नवीन तहसील-बड़ेबचेली अस्तित्व में आने के फलस्वरूप, तहसील-बड़ेबचेली के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह. मुख्यालय का नाम एवं नंबर	आश्रित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बड़ेबचेली	बड़ेबचेली	भान्सी-1	भान्सी	भान्सी
				पारोकमेली	
				झारालावा	
				बड़ेकमेली	बड़ेकमेली
				4	**2**
			बड़ेबचेली-2	बड़ेबचेली	नगर पालिका परिषद
				1	**1**
			पीनाबचेली-3	पाढ़ापुर	पाढ़ापुर
				बेनपाल	
				पीनाबचेली	
				नेरली	नेरली
				बेहनार	
				5	**2**
			मोलसनार -4	मोलसनार	मोलसनार
				उदेला	
				कुहचेपाल	
				3	**1**
			गंजेनार-5	गंजेनार	गंजेनार
				1	**1**
			दुगेली-6	दुगेली	दुगेली
				चोलनार उर्फ शिवनापदर	
				2	**1**
	योग रा.नि.मं. बड़ेबचेली		**6**	**16**	**7 ग्राम पंचायत** **1 नगर पालिका परिषद्**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	बड़ेबचेली	किरन्दुल	किरन्दुल-7	कड़मपाल	कड़मपाल
				किरन्दुल	नगर पालिका परिषद किरन्दुल
				कोड़ेनार	
				चोलनार	चोलनार
				मदाड़ी	
				5	**3**
			समलवार-8	कलेपाल	कलेपाल
				पीरनार	
				पेरपा	
				मड़कामीरास	
				समलवार	समलवार
			हिराली-9	पुरंगेली	हिरोली
				लावा	
				हिरोली	
				बेंगपाल	
				बड़ेपल्ली	
				5	**1**
			गुमियापाल-10	अलनार	कुटरेम
				कुटरेम	
				गुमियापाल	गुमियापाल
				तनेली	
				पेड़का	
				5	**2**
			समेली-11	समेली	समेली
				मांड़ेदा	
				2	**1**
			पोटाली-12	पोटाली	पोटाली
				1	**1**
			अरनपुर-13	अरनपुर	अरनपुर
				अचेली	
				मेड़पाल	
				3	**1**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ककाड़ी	ककाड़ी नहाड़ी मुलेर	नहाड़ी
				3	**1**
	योग रा.नि.मं. किरन्दुल		**8**	**29**	**11 ग्राम पंचायत** **1 नगर पालिका परिषद्**
	तहसील योग		**14**	**45**	**18 ग्राम पंचायत** **2 नगर पालिका परिषद्**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्रमांक/1210/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./हल्का पुनर्गठन/15.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के.सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील दंतेवाड़ा एवं कुआकोण्डा से विघटन पश्चात् नवीन तहसील-बड़ेबचेली के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप, तहसील-कुआकोण्डा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र. (1)	तहसील का नाम (2)	रा.नि.मं. का नाम (3)	प.ह. मुख्यालय का नाम एवं नंबर (4)	आश्रित ग्राम का नाम (5)	ग्राम पंचायत का नाम (6)
1.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	गढ़मिरी-1	गढमिरी रेगांनार	गढ़मिरी
				2	**1**
			कुआकोण्डा-2	कुआकोण्डा नकुलनार हल्बारास	कुआकोण्डा नकुलनार
				3	**2**
			मैलावाड़ा-3	गोंगपाल बड़ेहड़मामुण्डा मैलावाड़ा हितावर	गोंगपाल मैलावाड़ा हितावर
				4	**3**
			सामगिरी-4	खुटेपाल जिमेर दोरीरास सामगिरी	सामगिरी
				4	**1**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			टिकनपाल–5	टिकनपाल	टिकनपाल
				लेण्ड्रा	
				माहराहाउरनार	माहराहाउरनार
				3	**2**
			पालनार–6	पालनार	पालनार
				पेन्टा	
				फूलपाड़	फूलपाड़
				3	**2**
			अरबे–7	अरवे	जबेली
				जबेली	
				नीलावाया	नीलावाया
				बर्रेम	
				4	**2**
			बुरगुम–8	पुजारीपाल	बुरगुम
				बुरगुम	
				रेवाली	रेवाली
				3	**2**
	तहसील योग		**8**	**26**	**15 ग्राम पंचायत**

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्रमांक/1211/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./हल्का पुनर्गठन/15.—छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के.सी. देव सेनापति, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एतद्द्वारा तहसील दंतेवाड़ा से विघटन पश्चात् नवीन तहसील-बड़ेबचेली के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप, तहसील-दंतेवाड़ा के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाए अनुसार करता हूं :—

सूची

क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.मं. का नाम	प.ह. मुख्यालय का नाम एवं नंबर	आश्रित ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	पूरनतरई–1	केशापुर	केशापुर
				मिड़कुलनार	
				कवंलनार	
				भोगाम	भोगाम
				पुरनतरई	
				रेवनार	
				6	**2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			तुड़पारास-2	तुड़पारास	तुड़पारास
				डेगलरास	
				मंगनार	मंगनार
				कुपेर	
				4	**2**
			दंतेवाड़ा-3 (अ)	दंतेवाड़ा	नगर पालिका दंतेवाड़ा
				कतियाररास	
				आंवराभाटा	
				पातररास	
				4	**1**
			चितालंका-3(ब)	चितालंका	चितालंका
				1	**1**
			भैरमबंद-4	बालपेट	बालपेट
				भैरमबंद	
				टेकनार	टेकनार
				3	**2**
			कुम्हाररास-11	कुम्हाररास	कुम्हाररास
				करजेंनार	
				मसेनार	मसेनार
				3	**2**
			कामालूर-12	पण्डेवार	पण्डेवार
				गोंदपाल	
				झिरका	
				कामालूर	कामालूर
				कुन्देली	
				बासनपुर	
				6	**2**
			गमावाड़ा-13	गमावाड़ा	गमावाड़ा
				धुरली	धुरली
				2	**2**
	योग रा.नि.मं. दंतेवाड़ा		**8**	**29**	**13 ग्राम पंचायत** **01 नगर पालिका परिषद्**
2.	दंतेवाड़ा	पोन्दुम	पोन्दुम-5	पोन्दुम	पोन्दुम
				फुलनार	फुलनार
				मुस्केल	
				3	**2**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			मेण्डोली-6	जारम मेण्डोली कावड़गांव डूमाम दाबपाल	जारम कावड़गांव
				5	**2**
			मेटापाल-7	मेटापाल	मेटापाल
				1	**1**
			गदापाल-8	गदापाल तोयलंका	गदापाल तोयलंका
				2	**2**
			बड़ेगोडरे-9	चंदेनार नेटापूर बड़ेगोडरे छोटेगोडरे	चंदेनार नेटापुर
				4	**2**
			बालूद-10	बालूद चितालूर मटेनार मुरकी	बालूद मटेनार
				4	**2**
	योग रा.नि.मं. पोन्दुम		**6**	**19**	**11 ग्राम पंचायत**
	तहसील योग		**14**	**48**	**24 ग्राम पंचायत** **1 नगर पालिका परिषद्**

के. सी. देव सेनापति,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 26th November 2015

No. 1040/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and ;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Ram Kumar Tiwari, II Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Mahasamund	Mahasamund	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 26th November 2015

No. 1042/Confdl./2015/II-2-1/2015.—The following member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sunil Kumar Jaiswal, VIII Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Mungeli	Bilaspur	Additional Judge to the Court of Additional District & Sessions Judge, Mungeli.

By order of the High Court,
RAJNI DUBE, I/C Registrar General.

Bilaspur, the 26th November 2015

No. 9285/Vigilance/2015.—Whereas a Departmental Enquiry is contemplated against Shri Hemant Kumar Agrawal, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Baikunthpur, District Koriya for his grave misconduct.

And whereas serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, the High Court hereby places Shri Hemant Kumar Agrawal, Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Baikunthpur, District Koriya under suspension with immediate effect in contemplation of the Departmental Enquiry. During period of suspension or untill further orders the Head Quarter of Shri Hemant Kumar Agrawal shall be at Ambikapur. The subsistence allowance shall be paid to him as per rules.

By order of the High Court,
RAJNI DUBE, Registrar (Vigilance).